"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-161/गृह-दो/2012.—जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग के प्रतिवेदन दिनांक 13-07-2012 से राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वार्ड क्र. 24 बैकुण्ठधाम, भिलाई में साप्ताहिक बाजार को लेकर उत्पन्न विवाद के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15-05-2012, 31-05-2012 एवं 15-06-2012 जिसकी अवधि दिनांक 15-07-2012 को समाप्त हो रहा है उसे आगे यथावत् रखना अपरिहार्य हो गया है.

अत: राज्य सरकार एतद्द्वारा बलवे, संभावित दंगे की रोकथाम के लिये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 144 (4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15-06-2012 को आगामी दो माह के लिये (दिनांक 16-07-2012 से 15-09-2012 तक) यथावत प्रवृत्त रखने का निर्देश देती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.